HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 29th December, 2005

S.O.104 /H.A.6/2003/S 59/2005. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web 7 /H.A.6/2003/S.59/2005, dated the 8th November, 2005, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedules B and C appended to the said Act, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003),-

I. in Schedule B,-

(i) for serial number 4 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
"4.	Animal feed, that is to say, aquatic feed, poultry feed and cattle feed including supplements, concentrates and additives to these feeds, husk of pulses and de-oiled cakes (including de-oiled rice bran)";

(ii) for serial number 29 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
"29.	(i) Hand carts; (ii) animal drawn vehicles; (iii) tyres and tubes including flaps of animal drawn vehicles";

(iii) for serial number 42 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
"42.	Truthfully labeled seeds or seeds certified by the certification agency under the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) when sold in sealed bags or containers";

(iv) after serial number 58 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be added at the end, namely:-

1	2
"59.	Mithaii and Namkeen prepared with traditional tools of Halwaii trade but not by mechanical operations like in factories";

II. in Schedule C,-

(i) for serial number 25 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
"25.	Bulk drugs, drugs, medicines, vaccines, medicated ointments produced under drug licence, light liquid paraffin of IP grade, syringes, dressings, glucose-D, oral re-hydration salt, medical equipments / devices and implants";

(ii) for serial number 28 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
"28.	Edible oil and oil cake";

(iii) for serial number 89 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
"89.	Agricultural tractors, harvesters and attachments and parts thereof including tyres, tubes and flaps of agricultural tractors";

(iv) serial number 96 and entry thereagainst shall be omitted;

(v) against serial number 98, under column 2, for the words and signs "guar flour, guar giri,", the words and signs "guar, guar flour, guar giri," shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 12th October, 2005;

(vi) after serial number 100 and entry thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
"100A.	Henna
100B.	Mithaii and Namkeen except those covered by entry 59 of Schedule B and Khoya
100C.	Nuts, bolts, screws and fasteners
100D.	Processed or preserved fruits and vegetables including jam, jelly, pickle, squash, juice, drink, paste and powder, made of fruits / vegetables, whether sold in a sealed container or otherwise, and wet dates
100E.	Spectacles, parts and components thereof, contact lens and lens cleaner";

(vii) in serial number 102, after item number (163) and entries thereagainst, the following item numbers and entries thereagainst shall be added at the end, namely:-

1	2	3
“(164)	Zinc oxide, zinc peroxide	28.17
(165)	Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea	28.47
(166)	Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	29.05
(167)	Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulhonated, nitrated or nitrosated derivatives	29.14
(168)	Buffing goods and polishing materials	
(169)	Rubber rolls and polishers”.	

(viii) after Note 3, the following Note shall be added at the end, namely:-

“Note 4:- Goods of the description contained in this Schedule shall be deemed to have been excluded from Schedule B.”.

L.S.M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2005

संख्या का0आ0 104 / ह0अ0 6 / 2003/ धा0 59/ 2005.– हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 7/ह0अ06/2003/धा059/2005, दिनांक 8 नवम्बर, 2005, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ख तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में,

1 अनुसूची ख में,–

(i) क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

1	2
"4	जीव आहार, जैसे कि जलीय जीव आहार, मुर्गी आहार तथा पशु आहार जिसमें शामिल है इस आहार के अनुपूरक, सांद्र तथा योज्य, दालों का भूसा और डीऑयल्ड केक (जिसमें डीऑयल्ड राईस ब्रॉन शामिल है)";

(ii) क्रम संख्या 29 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

1	2
"29.	(i) हस्त चालित ठेले;(ii) पशु द्वारा खींचे जाने वाले वाहन; (iii) पशु द्वारा खींचे जाने वाले वाहनो के फलैप्स सहित टायरस तथा ट्यूबें;

(iii) क्रम संख्या 42 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

1	2
"42.	ट्रुथफूली लेबलड सीड या बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54), के अधीन प्रमाणित एजेंसी द्वारा प्रमाणित बीज जब ये मोहरबंद बैगों या कन्टेनरों में बेचे जाते हैं";

(iv) कम संख्या 58 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, अन्त में, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोडी जाएगी, अर्थातः–

1	2
"59.	हलवाई ट्रेड के परम्परागत औज़ारों से तैयार मिठाई तथा नमकीन किन्तु फैक्टरियों की तरह यांत्रिक संचालन द्वारा तैयार न की गई हो";

II अनुसूची ग में,–

(i) कम संख्या 25 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

1	2
"25	बल्क औषधियां, औषधियां, दवाईयां, टीका, औषधि अनुज्ञप्ति के अधीन उत्पादित औषधयुक्त मरहम, आई पी ग्रेड लाईट लिक्वड पैराफिन, सीरींजें, पट्टियां, ग्लूकोस–डी, जीवन रक्षक घोल, चिकित्सिय उपकरण/यन्त्र तथा इम्पलांट ";

(ii) कम संख्या 28 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

1	2
"28	खाद्य तेल तथा आयल केक ";

(iii) कम संख्या 89 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2
"89	कृषि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा उनके अटैचमैंटस तथा पुर्जे जिसमें शामिल हैं कृषि ट्रैक्टरों के टायर, टयूबें तथा फलैप " ;

(iv) कम संख्या 96 तथा उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जायेगा ;

(v) कम संख्या 98 के सामने, खाना 2 के नीचे, "ग्वार का आटा, ग्वार गिरी," शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "ग्वार, ग्वार का आटा, ग्वार गिरी", शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 12 अक्तूबर, 2005 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(vi) कम संख्या 100 तथा उसके समाने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिख्ति कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियॉं रखी जाएंगी, अर्थात्,–

1	2
”100	हिना
क	अनुसूची ख की प्रविष्टि 59 के अन्तर्गत के सिवाय मिठाई तथा नमकीन और खोया
100	नट, बोल्ट, पेंच तथा फास्टनर
ख	संसाधित या परिरक्षित फल तथा सब्जियॉं जिनमें शामिल हैं जैम, जैली, अचार, स्कवाइश,
100 ग	जूस, पेय, फलों/सब्जियों से बना पेस्ट तथा पाउडर चाहे वह बन्द डिब्बों या किसी भी
100 घ	अवस्था में बेचा जाए तथा वैट डेटस्
100 ङ	चश्में, उनके पुर्जे तथा उपस्कर, कन्टैक्ट लैन्स तथा लैंस कलीनर”;

(vii) क्रम संख्या 102 में, मद सँख्या (163) और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित मद संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
”(164)	जिंक ऑकसाइड, जिंक पैरोक्साइड	28.17
(165)	हाईड्रोजन पैरोक्साइड चाहे यूरिया सहित सान्द्रित हैं या नही	28.47
(166)	ए–साइक्–लिक अलकोहोलस और उनके हैलोजैनीटीड, सलफोनेटिड, नाईट्रेटिड या नाईट्रोसेटिड डेरिवेटिवस्	29.05
(167)	कीटोनस और कयूनोन्स चाहे अन्य आक्सीजन का कार्य करते हैं या नहीं और उनके हैलोजनेटिड, सलहोनैटिड, नाईट्रेटिड और नाईट्रोसेटिड डेरिवेटिवस्	29.14
(168)	बफिंग गुड्स तथा पालिशिंग मैटिरियल	
(169)	रबर रोल्स और पोलिर्शस”।	

(viii) टिप्पण 3 के पश्चात्, अन्त में, निम्नलिखित टिप्पण जोडा जाएगा, अर्थात्;–

”टिप्पण 4:- इस अनुसूची में दिया गया वर्णित माल, अनुसूची ख से अपवर्जित किया गया समझा जाएगा।”।

एल.एस.एम. सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।